न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लुणी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया RAS

राजस्व अपील संख्या – 5/2023

अपीलाण्टः–

01.सुखी पुत्री जोगाराम पत्नी देवाराम जाति भील निवासी भाण्डू तहसील झंवर जिला जोधपुर।

02.कोजाराम पुत्र छेलाराम व समदा भील निवासी आंगणवा जिला जोधपुर।
03.नेनूडी पुत्री छेलाराम व समदा पत्नि देवाराम जाति भील निवासी बिराई जिला जोधपुर।
04.जूझाराम पुत्र लाबूराम व गवरी भील निवासी गांव भाकरासनी तहसील लूणी जोधपुर।
05.पपुराम पुत्र लाबूराम व गवरी भील निवासी गांव भाकरासनी लूणी जोधपुर।
06.कालकी पत्नी ढलाराम भील निवासी कटाराडा तहसील झंवर जोधपुर।
07.कमली पत्नी मलाराम भील निवासी बिराई तहसील भोपालगढ जोधपुर।
08.शाति पुत्री भेराराम पत्नी शंकरलाल जाति भील निवासी लूणावास खारा तहसील लूणी।
09.मालाराम पुत्र मथुरा पुत्री भेराराम जाति भील निवासी गाव फीच तहसील लूणी जोधपुर।
10.बालाराम पुत्र मथुरा पुत्री भेराराम जाति भील निवासी गाव फीच तहसील लूणी जोधपुर।
11.धनाराम पुत्र मथुरा पुत्री भेराराम जाति भील निवासी गाव फीच तहसील लूणी जोधपुर।
12.ओमाराम पुत्र मथुरा पुत्री भेराराम जाति भील निवासी गाव फीच तहसील लूणी जोधपुर।
13.पपली पुत्री मुथरा पुत्री भेराराम जाति भील निवासी पीपराली तहसील लूणी जोधपुर।
14.जगाराम पुत्र दियावकी पुत्री भेराराम जाति भील निवासी पीपराली तहसील लूणी जोधपुर।
15.लीला पुत्री दियावकी पुत्री भेराराम जाति भील निवासी पीपराली तहसील लूणी जोधपुर।
16.ओमुडी पुत्री दियावकी पुत्री भेराराम जाति भील निवासी गांव सिनली तहसील लूणी ।
17.संतोष पुत्री दियावकी पुत्री भेराराम जाति भील निवासी गांव पतवाडा तहसील समदडी बाडमेर।

18.सुरजाराम पुत्र भेराराम जाति भील निवासी गांव भाकरासनी तहसील लूणी जोधपुर।
19.राजूराम पुत्र भेराराम जाति भील निवासी भाकरासनी तहसील लूणी जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्टसः–

01.बस्तीराम पुत्र जोगाराम भील
02.भंवरलाल पुत्र नारायणराम पुत्र जोगाराम
03.गोपाराम पुत्र नारायणराम पुत्र जोगाराम
04.कालूराम पुत्र नारायणराम पुत्र जोगाराम
05.छगाराम पुत्र नारायणराम पुत्र जोगाराम जाति भील निवासीगण भाकरासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर।
06.सुआ पुत्री नारायणराम पुत्री मोहनराम भील निवासी पीपरली तहसील लूणी जिला जोधपुर
07.सुगनी पत्नी मोहनराम भील निवासी गांव पीपरली तहसील लूणी जिला जोधपुर।
08.कसुम्बी पुत्री मोहनराम पत्नी भलाराम भील निवासी पाल तहसील जिला जोधपुर।
09.पपुराम पुत्र मोहनराम भील निवासी भाकरासनी जिला जोधपुर।
10.पपुराम पुत्र मोहनराम भील निवासी भाकरासनी जिला जोधपुर।
11.सतोष पुत्री मोहनराम पत्नी मंशीराम भील निवासी देवातडा तहसील भोपालगढ जोधपुर।
12.ग्राम पचायत गुडा विश्नोईयान जारिये संरपंच तहसील लूणी जिला जोधपुर।
13.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 36, ग्राम भाकरासनी तहसील– लुणी, जोधपुर द्वारा ग्राम पंचायत गुडा विश्नोईयान तहसील लूणी द्वारा दिनांक 31.03.1973 को पारित किया गया।

उपस्थित :–
1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता – श्री प्रेम कुमार देवडा उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ताः– श्री सतवन्त सिह सूर्यप्रकाश पवार उपस्थित।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

:: आदेश ::

दिनांक : 05/02/2024.

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 36 दिनांक 31.03.1973 गाव भाकरासनी तहसील लूणी जोधपुर के ग्राम पचायत गुडा विश्नोईया का बाबूलाल द्वारा वारिसान को तस्दीक करने पर ग्राम पंचायत गुडा विश्नोईयां तहसील लुणी, जिला जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि विवादग्रस्त भूमियो के खसरा नम्बर 180, 186, 187, 186/1 गांव भाकरासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर का खातेदार जोगा पुत्र मोती भील था उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण बहैसियत स्व0 जोगा के वारिसान के काबिज है एव काश्त करते है। ग्राम पंचायत ने कब्जे के बारे मे कोई जॉच ही नही की एव नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया। अपीलार्थी स्व0 जोगा की पुत्रीया एव उतराधिकारी है ग्राम पचायत ने उन्हे अपने जायज अधिकारो से वचित करने का आदेश दिया है इस कारण अपीलार्थी इस नामान्तरकरण से पीडित पक्षकार है। स्व0 जोगा के तीन पुत्र हुए जिनमे से रेस्पोडेण्ट संख्या एक जीवित है तथा रेस्पोडेण्टस संख्या 2 से 11 स्व0 जोगा के मृतक पुत्रो नारायणराम व मोहनराम के वारिसान है इसी प्रकार स्व0 जोगा के तीन पुत्रीया क्रमश भाणी समदा व सुखी हुई जिनमे से सुखी जीवित है जो अपीलार्थी संख्या एक है व अन्य पुत्रीयो के वारिसान अपीलार्थी संख्या 02 से 19 है। अपीलाण्ट द्वारा यह नामान्तरकरण संख्या 36 को निरस्त किया जावे एव रेस्पोंडेण्ट के साथ मृतक जोगा की पुत्रीयो का नाम दर्ज किया जाने हेतु यह अपील अपीलांटस की और से इस न्यायालय में पेश की गई।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट को समन जारी किये गये जिस पर रेस्पोडेण्ट संख्या 12 व 13 के स्वय द्वारा तमील समन प्राप्त हुए व शेष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 11 की ओर से अधिवक्ता सतवन्तसिह द्वारा वकालतानामा पेश किया गया एव साथ अधिवक्ता द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 11 की ओर से जबाव एव लिखित बहस पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई

अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया गया कि गाव भाकरासनी के नामान्तरकरण संख्या 36 दिनाक 31.03.1973 ग्राम पचायत गुडा विश्नोईयान द्वार स्वीकृत जारी नामान्तरकरण को खारिज किया जावे एव रेस्पोडेण्ट के साथ मृतक जोगा की पुत्रियो का नाम भी दर्ज किया जाने का निवेदन अपनी बहस मे अपीलाण्ट अधिवक्ता की गई एव ग्राम पचायत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण सख्या 36 को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया गया कि रेस्पोडेण्टस संख्या एक के पिता व अन्य रेस्पोडेण्टस के दादा श्री जोगाराम पुत्र मोतीराम का स्वर्गवास सन 1973 मे हो गया था। उपरोक्त अपीलाण्ट नामान्तरकरण संख्या 36 ग्राम भाकरासनी तहसील लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

जिला जोधपुर की भूमि जोगाराम पुत्र मोतीराम की स्वंय की खातेदारी भूमि थी। वर्तमान मे जोगाराम के वारिसानो मे दो पुत्र तथा तीन पुत्रीयो का स्वर्गवास हो चुका है तथा इनके वारिसान अपीलार्थी एव रेस्पोडेण्टस है तथा पुत्र बस्तीराम व एक बहन सुखी जीवित है तथा हमारे साथ जोगाराम की पुत्री तथा पुत्रीयो के वारिसानो का नाम जोगाराम वशावली अनुसार नाम दर्ज किया जावे तो हमे कोई आपति नही है रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि इस अपील मे किसी प्रकार द्वारा रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का खण्डन नही किया गया एव धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तो कोई किसी प्रकार का एतराज नही है इसलिए न्यायहित मे अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के उचित प्रतीत होने पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर नामान्तकारण सख्या 36 गाव भाकरासनी द्वारा स्वीकृत दिनांक 31.03.1973 ग्राम गुडा विश्नोइयान को निरस्त किया जाता है प्रकरण तहसीलदार लूणी को प्रति प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि सभी हितबद्व पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देते हुये स्व0 जोगाराम के विधिक वारिसान की जॉच कर नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
लुणी, जिला जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 05/02/2024. को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
लुणी, जिला जोधपुर।